विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 14 फरवरी, 2022

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–11/2020–लेज.–भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को दिनांक 25–12–2021 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,
राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 22 का संशोधन।
3. धारा 25च का संशोधन।
4. धारा 25ट का संशोधन।
5. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियां।

————————

2022 का अधिनियम संख्यांक 5

औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

(माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 25 दिसम्बर, 2021 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्यांक 14) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 9 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 22 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 22 की उपधारा (1) और (2) में, "लोक उपयोगी सेवा" शब्दों के पश्चात् "और गैर–लोक उपयोगी सेवा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 25च का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 25च के खण्ड (ख) में, ''पंद्रह दिन" शब्दों के स्थान पर ''साठ दिन'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 25ट का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 25ट की उपधारा (1) में, ''एक सौ'' शब्दों के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

5. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE INDUSTRIAL DISPUTES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2020

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 22.
3. Amendment of section 25F.
4. Amendment of section 25K.
5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 4 of 2020 and savings.

———————

Act No. 5 of 2022

THE INDUSTRIAL DISPUTES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE PRESIDENT ON 25TH DECEMBER, 2021)

AN

ACT

to amend the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on 9th day of July, 2020.

2. Amendment of section 22.—In section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) in its application to the State of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-sections (1) and (2), after the words "public utility service", the words "and non-public utility service" shall be inserted.

3. Amendment of section 25F.—In section 25F of the principal Act, in clause (b), for the words "fifteen days", the words "sixty days" shall be substituted.

4. Amendment of section 25K.—In section 25K of the principal Act, in sub-section (1), for the words "one hundred", the words "two hundred" shall be substituted.

5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 4 of 2020 and savings.—(1) The Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.